(2)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(अधिष्ठान –7– अनुभाग)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उत्तर प्रदेश

डायरी संख्या 1081 / का०कै०सि०वि०
दिनांक 20/2/2020 लखनऊ

संख्याः–400/ई–7/अवर अभि0/नियुक्ति/ लखनऊ : दिनांक : 10 / 02, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ के पत्रांक–194/गोपन अनुभाग/1/11/2015/2018 दिनांक 05–05–2018 एवं पत्रांक–424/गोपन अनुभाग/1/11/2015/2019, दिनांक 02.07.2019 द्वारा प्राप्त अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदस्थापना हेतु चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी की नियुक्ति अस्थाई अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रू0 9300–34800, ग्रेड पे 4200/– (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 35400–112400 लेवल–6) में करते हुये एतद्द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित खण्ड में पदस्थापित किया जाता है। सम्बन्धित अवर अभियन्ता (सिविल) को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशानुसार महंगाई भत्ता भी वेतन के साथ देय होगाः–

क0	अधी0 सेवा चयन आयोग का कमांक	अवर अभियन्ता का नाम सर्वश्री/श्रीमती/कु0ः–	पिता का नाम सर्वश्रीः–	जन्मतिथि	गृह–जनपद	श्रेणी	पदस्थापित खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	390	श्वेता यादव	गिरिश चन्द्र यादव	15.01.1992	गाजीपुर	अन्य पि0 वर्ग	सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर

1– उपरोक्त नवनियुक्ति अवर अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/ घोषणा–पत्र मूलरूप में उस खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे, जिसके अधीन उन्हें पदस्थापित किया गया है, अन्यथा उनकी योगदान आख्या स्वीकार्य नहीं की जायेगीः–

(ए) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास (Domicile) प्रमाण–पत्र।

(बी) यदि पहले से सेवा में हैं, तो उस विभाग से कार्यमुक्त होने का प्रमाण–पत्र।

(सी) निम्नलिखित आचरण प्रमाण–पत्रः–
(1) किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र, जो अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से प्रमाण–पत्र की तिथि से 05 वर्ष पूर्व से जानते हों, अथवा ऐसे ही विधान सभा/विधान परिषद/लोकसभा में दो माननीय सदस्यों के प्रमाण पत्र
(2) शिक्षा संस्था के प्रधानाचार्य जहॉ पर उनसे अन्तिम रूप से शिक्षा प्राप्त की हो, के द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।

(डी) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का स्वयं का घोषणा पत्र (शासकीय आदेश संख्या–4302/02/ 1954, दिनांक–21.05.1959 के अनुसार) ।

(ई) संलग्न परिशिष्ट 03 व 04 में संलग्न घोषणा–पत्र।

(एफ) सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

(जी) समस्त शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित एवं स्वहस्ताक्षरित प्रतियां।

(एच) शासनादेश सं0–1003/60–3–06–3(16ए0क्यू0)/2000 दिनांक 08.06.2009 में निहित प्राविधानों के अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 एवं उत्तर प्रदेश प्रतिषेध नियमावली, 1999 यथासंशोधित नियमावली, 2004 के अनुसार **अपने विवाह के समय कोई दहेज नहीं लिया है अथवा नहीं लूॅगा** का घोषणा पत्र।

(आई) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्वयं व अपने आश्रितों द्वारा धारित चल व अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। उक्त विवरण उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के कम में प्रत्येक 05 वर्ष पर नियुक्ति प्राधिकारी को नियमित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2– उक्त नियुक्ति, नियुक्ति विभाग, अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–20/ 1–1974–Appt–3 दिनांक 11 जून 1975(यथासंशोधित) में प्राविधानित नियमों एवं सेवा शर्तो के अधीन की जा रही है। अवर अभियन्ता की सेवा किसी भी समय एक माह की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। यदि अवर अभियन्ता स्वयं सेवामुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें भी नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। एक माह के नोटिस के बदले विभाग एक माह का वेतन देकर अथवा नोटिस समयावधि में कमी के समतुल्य वेतन जमा कराकर भी अवर अभियन्ता को सेवा से अवमुक्त कर सकता है। इसी प्रकार अवर अभियन्ता भी नोटिस के बदले में एक माह का वेतन नोटिस में कम समयावधि के तुल्य वेतन देकर सेवा से अवमुक्त हो सकता है।

3– नवनियुक्त अवर अभियन्ता दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रहेंगे। उक्त अवधि में उनका कार्य कलाप असन्तोषजनक होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त करने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

4– नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

5– अभ्यर्थी को इस आशय का एक बन्धक पत्र कि उन्हें सेवा में रहते हुए कम से कम 05 वर्षो तक अनुसंधान एवं नियोजन के कार्यो मे अनिवार्य रूप से कार्य करना होगा, जिसे अधिशासी अभियन्ता को भरकर देना होगा, अधिशासी अभियन्ता प्रतिहस्ताक्षरित करके इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

श्री आशीष, क० सहा०
19-02-2020
S.P.C.E. 19/2/20

Scanned with CamScanner

6– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नवनियुक्त अवर अभियन्ता (सिविल) के समस्त मूल शैक्षणिक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को कार्यालय में जमा करायें एवं उनका सत्यापन जारी करने वाले प्राधिकारी से करायें।

7– आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र पर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने तथा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तभी कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

8– उपरोक्त नियुक्ति शासनादेश संख्या–22/5/1982–का–2, दिनांक 27–7–1994 के प्रस्तर–2 के अनुसार अस्थायी है और शैक्षणिक अभिलेखो/ जाति प्रमाण पत्र के उचित सत्यापन के शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर शैक्षणिक अभिलेखो/ जाति प्रमाण पत्र का दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त मानी जायेंगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

9– अभ्यर्थियों की पदस्थापना उनके गृह जनपद मे नहीं की जायेगी।

10– नवनियुक्त अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के प्राविधानानुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

11– यह नियुक्ति की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–11039/2019 विपिन कुमार मौर्य तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य एवं सम्बद्ध रिट याचिकाओं में दिनांक 16–01–2019 को पारित निर्णय/आदेश के अनुपालन में, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अवमानना याचिका संख्या–2245/2019 शालिनी यादव व 03 अन्य बनाम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, सचिव व अन्य, रिट संख्या–12808(एस0एस0)/2018 नितिन चौधरी व अन्य बनाम उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ व अन्य एवं रिट संख्या– 13153(एस0एस0)/2018 जोनी कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

12– **अभ्यर्थी को अपना कार्यभार आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रत्येक दशा में ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि तक कार्यभार नहीं ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।**

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

वी0के0 निरंजन
प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)

संख्याः– 400/1/ई–7/तद्दिनांक 10.02.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,लखनऊ को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 02.07.2019 के सन्दर्भ में।
2. सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता(स्तर–2) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश.....
4. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक–8, (अधिष्ठान–8 अनुभाग), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश.....
6. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त नियुक्ति आदेश को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश.....
8. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/(परियोजना) /मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(स्तर–1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. शिविर सहायक, मुख्य अभियन्ता (कार्मिक–7/8) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. महासचिव, सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, 62 क्ले स्वायर, लखनऊ।
11. उपरोक्त अभ्यर्थी की वैयक्तिक पत्रावाली हेतु।
12. कट–फाइल।

(हर प्रसाद)
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक–7)

संख्याः– /2/ई–7/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस कथन के साथ प्रेषित है कि वांछित प्रमाण–पत्रों/ घोषणा–पत्रों के साथ अपना कार्यभार अपने नाम के सम्मुख अंकित खण्ड में निर्धारित तिथि के अन्दर प्रत्येक दशा में ग्रहण कर लें, अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगेः–

1– श्वेता यादव पुत्री श्री गिरिश चन्द्र यादव, ग्राम व पोस्ट–देवकली, जिला–गाजीपुर, पिन कोड नं0–233306

(हर प्रसाद)
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक–7)

Scanned with CamScanner